[illegible]

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल बरेली,जनपद बरेली,तहसील बहेडी
वाद संख्या :-02669/2018
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201812130502669
मो0 इकराम खान बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

[illegible] निर्णय

उक्त वाद में श्री इकराम द्वारा धारा 80 उ.प्र.राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में श्री मो0 इकराम ने कहा है कि ग्राम देवरनियाँ परगना रिछा तहसील बहेडी जिला बरेली के गाटा संख्या 412 रकबा 0.350है0 पर शिक्षण कार्य के प्रयोग में लाया जा रहा है तथा कृषि कार्य नही हो रहा है। इसलिए इस भूमि को अकृषिक घोषित किया जाये।

इस प्रार्थना पत्र के संबध में जाँच करायी गयी। जाँच आख्या में क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक ने अंकित किया है कि ग्राम देवरनियाँ परगना रिछा तहसील बहेडी जिला बरेली के गाटा संख्या 412 रकबा 0.350है0 पर शिक्षार्थ प्रयोग में लाया जा रहा है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि अकृषिक करने हेतु आख्या प्रेषित की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल खतौनी की प्रति, खसरा व स्थल का फोटो व जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार एक प्रतिशत 16,500/-रू0 राजकीय कोष में जमा किये जाने के उपरान्त चालान की मूल प्रति प्रस्तुत किये है।

नायब तहसीलदार बहेडी ने आख्या में अंकित किया है कि ग्राम देवरनियाँ परगना रिछा तहसील बहेडी जिला बरेली के गाटा संख्या 412 रकबा 0.350है0 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त रकबे में आला हजरत डिग्री कालेज देवरनियाँ के शिक्षण कक्षों का निर्माण किया जा रहा है। भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजन के लिए नहीं हो रहा है। उक्त गाटा को अकृषिक घोषत किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की है। उक्त आख्या को तहसीलदार बहेडी द्वारा सम्प्रेषित की है।

अतः उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

## आदेश

आदेश हुआ कि ग्राम देवरनियाँ परगना रिछा तहसील बहेडी जिला बरेली के खतौनी वर्ष फसली 1424-1429 के खाता संख्या 00331 के गाटा संख्या 412 रकबा 0.350है0 को धारा 80 उ.प्र.राजस्व संहिता के अतर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी किया जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक:- 13-07-18

उप जिलाधिकारी
बहेडी, बरेली।

[illegible]

पृष्ठ संख्या :

[illegible]